न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1309–चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–08–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–1026/अपील/2006–07.

1–अब्दुल कासिम तनय निचकू खां उर्फ तसीरूददीन मुसलमान

2–अब्दुल हक तनय वाहित खां

3–अ सखीरूददीन तनय बड़के खां

3–ब शिराजुरूददीन तनय बड़के खां

4– कुतबुददीन तनय अबरार खां

सभी निवासी नई गढ़ी तहसील मऊगंज जिला रीवा

––– आवेदकगण

विरू

1– शमीउल्ला खां तनय विरासत खां

2– अ श्रीमती आबदा खातून पुत्री स्व0 अब्दुल समदखां

2–ब मोहम्मतद हक तनय स्व0 अब्दुल समद खां

2–स मोहम्मद तौंहीद तनय स्व0 अब्दुल समद

2– द ऐनुलहक तनय स्व0 अब्दुल समद

2– ई डोलवा पुत्री स्व0 अब्दुल समद

2– य मोमिना पुत्री स्व0 अब्दुल समद

सभी निवासी चकरहनटोला नई गढ़ी तहसील मऊगंज

जिला रीवा म0प्र0

––– अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रमाकांत पटेल,अभिभाषक अनावेदकगण

//2//निगरानी प्रकरण क्रमांक–1309–चार/2008

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1026/अपील/2006–07 पारित आदेश दिनांक 30–8–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन पत्र विवादित भूमियों पर कब्जा दर्ज किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया जो उक्त न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.2.03 के तहत निराकृत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 7.1.05 के अनुसार विचारण न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित की गयी। तदोपरांत विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.9.06 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः उततरवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी । जहां पर अपील स्वीकार की गई जिससे से परिवेदित होकर अब्दुल कासिम आदि द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 30.8.08 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की। अपीलार्थी की अपील निरस्त होने से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि स्वामी शिवपाल खां निवासी नई गढी थे जिनकी मृत्यु के बाद उनके हिम्मत खां एवं अमीर खां मालिक व काबिजदार हुये । जिसके संबंध में सजरा खानदान प्रथम विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजियात के 1/2 भाग के हकदार हिस्सेदार तथा कब्जाधारी आवेदकगण हैं एवं 1/2 के हकदार हिस्सेदार व कब्जाधारी अनावेदकगण हैं अनावेदकगण समीउल्ला खां

एवं अब्दुल समद ने उक्त आराजियात का नामांतरण आवेदकगण की अज्ञानता में अपने हक में करा लिया किन्तु मौके से आवेदकगण व उनके पितामह काबिज रहे आये कब्जे का इन्दाज मौके की स्थिति के अनुसार खसरा में करा लिया किन्तु मौके से आवेदकगण व उनके पितामह काबिज रहे आये कब्जे का इन्द्राज मौके की स्थित के अनुसार खसरा मे न होने पर नायब तहसीलदार वृत्त नई गढी के न्यायालय में कब्जा दर्ज किये जाने का आवेदइन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद विचार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट लेकर मौके की स्थिति के अनुसार उक्त आराजियात से संबंधी राजस्व अभिलेख खसरा में कब्जा दर्ज करने का आदेश नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.3.03 को दिया गया था। आवेदक अधिवक्ता का आगे तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित करते हुये आदेश दिये कि नायब तहसीलदार सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये आदेश पारित करें, नायब तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाइ एवं समुचित अवसर देते हुये तथा पटवारी की रिपोर्ट मंगाकर एवं स्वयं दिनांक 8.9.06 को उभयपक्ष को सूचति करते हुय स्थल निरीक्षण करते हुये अधिया बटाई दार कृषक रामधनी यादव के बयान दर्ज किये इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.1.05 का पूर्ण पालन करते हुये आवेदकगण का कब्जा खसरा में 1/2 भाग का दर्ज करने का आदेश दिया गया है वह सही है । अतः अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की जिसकी एक प्रति आवेदगण अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जिसके हस्ताक्षर उनकी लेखी बहस पर हैं। अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का वारिसाना नामांतरण जरिये न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी नईगढ़ी देवतालाब के प्रकरण कमांक 170/अ–6/74–75 में पारित आदेश दिनांक 18.12.74 के माध्यम से किया गया था जिसकी इत्तलाबी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 3.4.75 को अनावेदगण के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये गये थे। उक्त वारिसाना नामांतरण के बाद अनावेदकगण द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त नई गढ़ी तहसील मऊगंज के समक्ष

प्रश्नाधीन भूमियों के पुल्ली बंटवारा किये जाने का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 व 110 के तहत पेश किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण करते हुये नायब तहसीलदार द्वारा उनकी आपत्ति निरस्त की गई थी। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा जो उनकी आपत्ति दिनांक 30.6.2000 को निरस्त की गई थी उसकी आवेदकगण द्वारा कोई अपील एवं निगरानी नहीं की गई है। आगे अपनी बहस में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई कब्जा एवं स्वत्व आधिपत्य नहीं रहा है। उनके द्वारा अपनी लेख बहस में कहा है कि अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ताण द्वारा विधि के विरूद्व जाकर प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व रिकार्ड ऐनकेनप्रकारेण अपना नाम कब्जेदार के कालम में दर्ज कराकर अनावेदकगण के स्वत्व पर प्रभाव डालने का प्रयास करने कीनियत थी जो नहीं हो पाया लिहाजादोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया गया एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया। अधिवक्तागण के तर्कानुकम में अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिस निर्देश के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रत्यावर्तित कर भेजा गया था उस निर्देशों का पालन नहीं हुआ एवं बिना निर्देर्शो का पालन किये वगैर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण ने विचारण न्यायालय में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह लेख है कि विवादित भूमि का पटट्ा भूमि स्वामित्व स्वत्व उत्तरवादीगण के नाम है। इससे यह प्रमाणित है कि विवादित भूमियां हिम्मत खां की स्वअर्जित भूमियां हैं इसी कारण राजस्व अभिलेखों में हिम्मत खां के बाद उनके वारिसानों का नाम कमिक रूप से दज्र होता चला आया है। हिम्मत खां के नाम विवादित भूमियों के नामांतरण के तथ्य को स्वयं आवेदकगण ने भी स्वीकारा है। किसी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर कब्ज दर्ज किया

जाना कतई न्यायसंगत नहीं है। विचारण न्यायालय ने दूषित व अवैध आधार पर आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.6.07 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30.8.08 औचित्य पूर्ण होने से स्थिर रखे जाते है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर